शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 48 वां वर्ष

ई-पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

धवर्ष 48 अंक-22 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2023 सोमवार 29-05 जून 2023 मूल्य पांच रूपये

क्या डॉक्टरों की नियुक्तियों पर फिर उठेगा एन.पी.ए. का मुद्दा?

डॉक्टरों और मुख्यमंत्री की वार्ता के बाद उभरी आशंका

- स्वास्थ्य मंत्री और विभाग के अन्य लोगों को फैसले की जानकारी ही न होने का अर्थ क्या है?
- क्या यह फैसला विभाग से बाहर लिया गया था?
- नौकरी चाहिये या एन.पी.ए. यह मोल तोल की भाषा क्यों ?
- क्या कोई अदृश्य हाथ चला रहा है सरकार

शिमला/शैल। हिमाचल सरकार द्वारा डॉक्टरों का एन.पी.ए. बन्द कर देने की अधिसूचना जैसे ही चर्चा में आयी तो प्रदेश की मेडिकल ऑफिसरज एसोसिएशन ने इसका संज्ञान लेते हुये हड़ताल पर जाने का फैसला कर लिया। क्योंकि प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री से लेकर स्वास्थ्य सचिव तक हर संबद्ध अधिकारी ने इस फैसले पर अनभिज्ञता प्रकट की। स्वभाविक है कि जब फैसले को लेकर हर संबद्ध व्यक्ति जानकारी न होने की बात करेगा तो प्रभावित डॉक्टरों के पास सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिये हड़ताल पर जाने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं रह जाता था। इसी वस्तुस्थिति में डॉक्टर हड़ताल पर चले गये और मामले को सुलझाने के लिये मुख्यमंत्री को स्वंय वार्ता में शामिल होना पड़ा। डेढ़ घंटा तक चली इस वार्ता के बाद डॉक्टरों ने मुख्यमंत्री के आश्वासन पर हड़ताल समाप्त कर दी और प्रभावित स्वास्थ्य सेवाएं फिर से नॉर्मल हो गयी। मुख्यमंत्री के साथ हुई इस वार्ता में प्रदेश में बन रही मेडिकल कॉरपोरेशन से लेकर अन्य सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई है और हर मुद्दे पर संतोषजनक आश्वासन भी मिले हैं।

लेकिन इस वार्ता के बाद जो प्रैस नोट जारी हुये हैं उसमें कहा गया है कि एन.पी.ए. बंद नहीं किया गया है बल्कि इसे रोका गया है। यह भी कहा गया है कि भविष्य में डॉक्टरों की होने वाली नियुक्तियों के समय में इस पर विचार किया जायेगा। मुख्यमंत्री के इस आश्वासन से स्वत: ही यह संदेश और संकेत चला जाता है कि इस हड़ताल को अभी सिर्फ टाला गया है। यह मसला स्थाई तौर पर हल नहीं हुआ है। क्योंकि यह पहले ही चर्चा में आ गया है कि नौकरी चाहिये या एन.पी. ए.। यह भी सामने आ चुका है कि कुछ लोगों ने यह कहा है कि नौकरी और एन.पी.ए. दोनों ही चाहिये। इस तरह के दोहरे वक्तव्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि बेरोजगारी को आने वाले समय में किस तरह से भुनाया जायेगा और उसका कालान्तर में प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं पर किस तरह का असर पड़ेगा। क्योंकि सामान्यत: सरकार से यह उम्मीद नही की जाती है कि वह बेरोजगारी को ऐसा हथियार बनायेगी।

इस समय प्रदेश के स्वास्थ्य संस्थानों में डॉक्टरों और अन्य सहायक कर्मचारियों के सैकड़ों पद खाली चल रहे हैं। कई जगहों के मामले तो अदालत तक पहुंच चुके हैं और अदालत को निर्देश देने पड़े हैं कि सरकार खाली पदों को शीघ्र भरें। प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों का तो व्यवहारिक रूप से संचालन ही प्रशिक्षु डॉक्टरों के हाथों में रहता है। ऐसे में जब यह प्रशिक्षु और रेजिडेंट डॉक्टर आने वाले समय में नयी नियुक्तियों के वक्त पर एन. पी.ए. या नौकरी चुनने की बाध्यता पर आयेंगे तो उस समय किस तरह की वस्तुस्थिति खड़ी हो जायेगी उसका अन्दाजा लगाया जा सकता है। इसी के साथ एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि जब सरकार की ओर से एन.पी.ए. को लेकर अधिसूचना जारी हो गयी थी तो इस पर स्वास्थ्य मंत्री से लेकर विभाग के अन्य संबद्ध लोगों ने अनभिज्ञता क्यों जताई? क्या सही में यह फैसला स्वास्थ्य विभाग से बाहर लिया गया था? क्योंकि जब डॉक्टर हड़ताल पर चले गये और स्वास्थ्य मंत्री ने फैसले को लेकर अनभिज्ञता जताई तब नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की एक प्रतिक्रिया आयी थी। जयराम ठाकुर ने कहा था कि कुछ बड़े आई.ए.एस. अधिकारी नहीं चाहते कि कुछ लोगों का वेतन इनसे ज्यादा हो जाये।

पूर्व मुख्यमंत्री की यह प्रतिक्रिया अपने में बहुत महत्वपूर्ण है और इसके राजनीतिक मायने भी गंभीर हैं। क्योंकि स्वास्थ्य विभाग को लेकर एक महत्वपूर्ण नीतिगत फैसला हो जाता है। डॉक्टर हड़ताल पर चले जाते हैं। स्वास्थ्य मंत्री को फैसले की जानकारी नहीं होती है। मुख्यमंत्री को स्वयं वार्ता में बैठना पड़ता है। नौकरी या एन.पी.ए. में चुनाव करने के संकेत दिये जाते हैं। स्वभाविक है कि जब कोई विश्लेषक इन सारी कड़ियों को एक साथ रखकर परखने का प्रयास करेगा तो उसके सामने सारी तस्वीर ही बदल जायेगी। क्योंकि कोई भी सरकार एक ही वक्त में डॉक्टरों और प्रदेश की जनता दोनों को एक साथ अंगूठा दिखाने का साहस नहीं कर सकती। निश्चित है कि यह सब किसी बड़ी योजना को अंजाम देने के लिये जमीन तैयार की जा रही है।

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
FINANCE (REGULATIONS) DEPARTMENT

No. Fin-(C)B(7)-3/2021-I Dated Shimla-2, 26th May, 2023.

NOTIFICATION

In partial modification of this department's notifications Nos. Fin-(C)B(7)-3/2021 dated 3rd January, 2022 and No. Fin-(C)B(7)-3/2021-I dated 2nd March, 2022, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to order that the Non Practising Allowance (NPA) will not be admissible for all Doctors recruited henceforth in Health & Family Welfare, Medical Education, Dental, Ayush and Animal Husbandry departments of the State Government.

These orders can also be seen on www.himachal.nic.in/finance.

By order

Mansesh Garg
Principal Secretary (Finance) to the
Government of Himachal Pradesh

Endst. No. Fin-(C)B(7)-3/2021-I Dated Shimla-2, 26th May, 2023.

Copy forwarded to:

1. All the Administrative Secretaries to the Government of Himachal Pradesh.
2. All the Heads of the Departments in Himachal Pradesh.
3. The Principal Accountant General (Audit), H.P. Shimla-9.
4. The Accountant General (A&E), H.P. Shimla-2.
5. The Resident Commissioner, Himachal Bhawan, 27, Kasturba Road, New Delhi.
6. The Registrar General, High Court of Himachal Pradesh, Shimla-1.
7. The Secretary to the Governor, Himachal Pradesh, Shimla-2.
8. The Secretary, H.P. Vidhan Sabha, Shimla-4.
9. The Secretary, H.P. Public Service Commission, Shimla-2.
10. The Joint Secretary (GAD-C) to the Government of HP with reference to item No. 33 of the meeting dated 17.05.2023 for information.
11. The Director, Treasuries, Accounts & Lotteries/Local Audit Department, Himachal Pradesh, Shimla-2.
12. All the District Treasury Officers/Treasury Officers in Himachal Pradesh.
13. The Resident Commissioner, Pangi at Killar, District Chamba, H.P.
14. The Controller (F&A), Department of Personnel, H.P. Secretariat, Shimla-2.

(RAJINDER SHARMA)
Joint Secretary (Finance) to the
Government of Himachal Pradesh

राज्यपाल ने संरक्षित एवं संतुलित विकास पर बल दिया

शिमला/शैल। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में संरक्षित एवं संतुलित विकास की आवश्यकता पर बल देते हुए राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि आज भारत पश्चिमी देशों की तुलना में सबसे कम कार्बन उत्सर्जित कर रहा है जबकि उनका पर्यावरण इतना असंतुलित है कि इसने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है।

राज्यपाल राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हमीरपुर के सहयोग से आरोग्य भारती हिमाचल प्रदेश द्वारा आयोजित उत्तर क्षेत्र पर्यावरण कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा पर्यावरण शिखर सम्मेलन में कहे गए शब्दों, 'पर्यावरण संरक्षण हमारी प्रतिबद्धता है न कि मजबूरी', को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति में पेड़-पौधों का धार्मिक महत्व है और हम उनकी पूजा करते हैं। राज्यपाल ने कहा कि उन्होंने राजभवन में तुलसी का पौधा लगाकर पर्यावरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को भी दोहराया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश का पर्यावरण स्वच्छ एवं स्वस्थ है और यहां पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध है। हमें अपने हरित आवरण को संरक्षित करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ जीवन के लिए हमें रसायन मुक्त कृषि पद्धति को पुनः अपनाकर मोटे अनाजों की खेती की ओर लौटना होगा।

उन्होंने कहा कि आज जलवायु परिवर्तन वैश्विक चिंता का विषय है, जिसका सीधा असर हम पर भी पड़ता है। उन्होंने कहा कि उत्तरी क्षेत्र में तेजी से हो रहे शहरीकरण, औद्योगीकरण, जनसंख्या वृद्धि और पर्यावरण क्षरण से जुड़ी अनियंत्रित मानवीय गतिविधियों के कारण पर्यावरण संतुलन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। इस क्षेत्र में वायु प्रदूषण सबसे बड़ी चिंता का विषय बन गया है। उन्होंने कहा कि औद्योगिक उत्सर्जन, वाहन प्रदूषण आदि इस समस्या के कारक हैं। उन्होंने वायु प्रदूषण में कमी लाने के लिए सतत विकास को बढ़ावा देने और स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को अपनाने पर बल दिया।

राज्यपाल ने कहा कि पीने योग्य पानी की कमी आज एक बड़ी समस्या का रूप धारण कर विश्व के सामने चुनौती बनकर खड़ी है। हमें इस समस्या पर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि उत्तरी क्षेत्र की प्रमुख नदियों के जल स्रोत प्रदूषण, अति प्रयोग और अतिक्रमण से खतरे में हैं। उन्होंने कहा कि वर्षा जल संचयन, अपशिष्ट जल उपचार और सामुदायिक जागरूकता अभियान भविष्य की पीढ़ियों के लिए स्थायी जल आपूर्ति सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। उन्होंने उत्तरी क्षेत्र के कमजोर पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता की सुरक्षा पर भी जोर दिया और कहा कि वन्यजीवों की लुप्तप्राय प्रजातियों के आवासों के संरक्षण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि वनों की कटाई, अवैध वन्यजीव व्यापार और आवास विनाश जैसी गतिविधियों को हतोत्साहित किया जाना चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि जलवायु परिवर्तन भविष्य का बड़ा खतरा है और हिमालयी क्षेत्र ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों के लिए विशेष रूप से संवेदनशील है। इसलिए, जलवायु परिवर्तन के बारे में जागरूकता बढ़ाने, सतत क्रियाओं को बढ़ावा देने और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को अधिकाधिक अपनाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हमारे सामूहिक प्रयासों से हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक हरित, स्वच्छ और स्वस्थ भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं।

राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया भर के देशों के लिए एक प्रेरणास्रोत बनकर उभरा है। भारत ने सम्पूर्ण विश्व के समक्ष यह उदाहरण प्रस्तुत किया है कि आर्थिक विकास और पर्यावरण की सुरक्षा साथ-साथ चल सकती है।

इससे पूर्व, राज्यपाल ने एनआईटी परिसर में आंवले का पौधा भी रोपित किया।

आरोग्य भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. राकेश पंडित ने राज्यपाल का स्वागत करते हुए कहा कि पर्यावरण का हमारे जीवन में बहुत महत्व है और इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति और परम्परा हमें पर्यावरण संरक्षण के प्रति अधिक जागरूक बनाती है लेकिन एकतरफा विकास ने हमें इससे दूर कर दिया है। उन्होंने कहा कि वनों की कटाई, शहरीकरण, औद्योगिकीकरण, प्लास्टिक के उपयोग और तकनीकी विकास ने भी पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। उन्होंने कहा कि हमें पर्यावरण संरक्षण के प्रति अधिक संवेदनशील होने की आवश्यकता है और एक जागरूक नागरिक की तरह पर्यावरण संरक्षण को जीवन का हिस्सा बनाना होगा।

एनआईटी के निदेशक प्रोफेसर हीरालाल मुरलीधर सूर्यवंशी ने संस्थान में राज्यपाल का स्वागत किया और विशेष रूप से पर्यावरण संरक्षण की दिशा में संस्थान की विभिन्न गतिविधियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने अपशिष्ट प्रबंधन के महत्व पर प्रकाश डाला और संस्थान के उन्नत भारत अभियान से जुड़े सभी संस्थानों के प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने सभी प्रतिभागियों से पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम करने का आहवान किया।

आरोग्य भारती के राष्ट्रीय सचिव डॉ. अशोक कुमार ने कहा कि यह संस्था सामाजिक सेवा और लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने के कार्य से जुड़ी है। उन्होंने कहा कि संस्था से जुड़े लगभग 20 हजार आरोग्य मित्र ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रहे हैं।

विशेष ओलम्पिक प्रतिभागियों ने राज्यपाल से शिष्टाचार भेंट की

शिमला/शैल। विशेष ओलम्पिक के लिए हिमाचल के चयनित प्रतिभागियों ने राजभवन में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से शिष्टाचार भेंट की। जर्मनी के बर्लिन में आगामी 17 से 25 जून तक

आयोजित किए जाने वाले विशेष ओलम्पिक में हिमाचल प्रदेश के दो खिलाड़ियों और तीन प्रशिक्षकों सहित भारत के 198 एथलीट और 57 कोच भाग लेंगे। यह खिलाड़ी 16 प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेंगे।

राज्यपाल ने टीम के सदस्यों को बधाई देते हुए कहा कि आज देश में खेलों के प्रति रुचि बढ़ी है और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी समय-समय पर हर मंच से खेलों को प्रोत्साहन प्रदान कर रहे हैं। राज्यपाल ने कहा कि खेलो इंडिया और सांसद खेल प्रतियोगिताओं के माध्यम से ग्रामीण स्तर पर खेल प्रतिभाएं सामने आ रही हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि ये खिलाड़ी पदक जीतकर देश व प्रदेश का नाम रोशन करेंगे।

इस अवसर पर स्पेशल ओलम्पिक भारत की हिमाचल शाखा के पदाधिकारी और खिलाड़ियों के माता-पिता भी उपस्थित थे।

प्रदेश के विकास में कामगारों की अहम भूमिका- डॉ.(कर्नल) धनीराम शांडिल

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार सभी वर्गों विशेषकर कमज़ोर वर्ग के कल्याण व उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। कामगार प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में अधोसंरचना को सुदृढ़ करने में कामगारों का योगदान सराहनीय है।

यह बात सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता और श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ.(कर्नल) धनीराम शांडिल ने सैंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन (सीटू) तथा अन्य मजदूर संघों के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही।

उन्होंन कहा कि हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत कामगारों को प्रदान की जा रही विभिन्न सुविधाओं से सम्बन्धित मुद्दों पर विचार करने के लिए बोर्ड में गठित कमेटी के विशेषज्ञों की जल्द बैठक बुलाई जाएगी।

इसके उपरांत हिमाचल प्रदेश सर्व विकलांग कल्याण संघ के प्रतिनिधिमंडल ने संघ के प्रधान कुलदीप सिंह के नेतृत्व में डॉ. कर्नल धनीराम शांडिल से भेंट की तथा दृष्टिबाधितों की विभिन्न मांगों से उन्हें अवगत करवाया।

डॉ.(कर्नल) धनीराम शांडिल ने कहा कि प्रदेश सरकार दृष्टिबाधित व दिव्यांगजनों के प्रति संवेदनशील है तथा उनके हितों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर है। उन्होंने संघ की सभी जायज मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया।

बैठक में मनरेगा एंड अन्य कंस्ट्रक्शन वर्कर यूनियन के प्रधान, जोगिन्द्र महासचिव, भूपेन्द्र तथा सीटू के प्रदेश महासचिव प्रेम गौतम, सर्वविकलांग कल्याण संघ के प्रधान कुलदीप व सम्बद्ध विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

राज्यपाल ने हमीरपुर में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने हमीरपुर जिला प्रशासन के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि विकास एक सतत प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि जिला हमीरपुर ने विकास के अनेक आयाम स्थापित किए हैं। उन्होंने विकासात्मक

योजनाओं की प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि लगभग सभी विभाग अच्छा कार्य कर रहे हैं।

राज्यपाल ने जिला के अपने पहले दौरे में कहा कि हमीरपुर को वीरभूमि भी कहा जाता है। उन्होंने अधिकारियों से आग्रह किया कि वे संबंधित विभाग में कम से कम एक व्यक्ति को निःक्षय-मित्र बनकर अपनाएं। उन्होंने कहा कि टी.बी. उन्मूलन को अभियान के तौर पर लिया जाना चाहिए और विशेषकर शैक्षणिक संस्थानों तथा पंचायतों को जागरूकता के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने युवाओं में बढ़ते नशे पर रोग लगाने के लिए मिलकर कार्य करने की अपील की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हिमकेयर योजना के अंतर्गत पिछले वित्त वर्ष में जिले के 13746 हजार लोगों के मुफ्त इलाज पर 16.36 करोड़ रुपये व्यय किए गए। इसी प्रकार आयुष्मान भारत योजना के 3568 लाभार्थियों पर 2.83 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं। राज्यपाल ने कहा कि शिक्षा के साथ-साथ युवाओं को कौशल विकास की ओर आगे बढ़ाना चाहिए ताकि स्वरोजगार के साथ-साथ उन्हें निजी क्षेत्र में रोजगार के अधिक अवसर मिल सके। उन्होंने कहा कि पिछले वित्त वर्ष के दौरान मनरेगा के तहत विभिन्न विकास कार्यों पर कुल 69 करोड़ रुपये खर्च किए गए। वहीं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से जिले में 628 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया और इन्हें 4.38 करोड़ रुपये के ऋण उपलब्ध करवाए गए। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है जिसके लिए उन्हें विपणन के लिए बेहतर व्यवस्था उपलब्ध करवाने तथा उनके उत्पाद की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जिले की सभी 248 ग्राम पंचायतों को बाह्य शौचमुक्त घोषित किया जा चुका हैं और अब इन पंचायतों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के कार्य भी तेजी से करवाए जा रहे हैं। जिले में 250 से अधिक आबादी वाले सभी गांवों को सड़कों से जोड़ा जा चुका है। जल जीवन मिशन के तहत हमीरपुर जिले में लगभग 99 प्रतिशत से अधिक लक्ष्य हासिल किया है।

उन्होंने कहा कि विकास की गति निरंतर बनी रहनी चाहिए ताकि यह जिला देश में विकास की मिसाल बनकर उभरे।

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक:जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा शर्मा

केंद्रीय मंत्री से सीआरआईएफ के तहत 500 करोड़ रुपये की मांग:विक्रमादित्य सिंह

शिमला/शैल। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से राज्य में सड़कों के विकास और सुधार के लिए केंद्र सरकार से केंद्रीय सड़क अधोसंरचना कोष (सीआरआईएफ) के तहत 500 करोड़ रुपये की मांग की।

उन्होंने केंद्रीय मंत्री से राज्य में 'भारतमाला परियोजना' के तहत सैद्धांतिक रूप से स्वीकृत 1254 किलोमीटर लम्बी नौ सड़कों के प्रस्ताव को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का आग्रह किया। उन्होंने टिक्कर-जरोल-गाहन-ननखड़ी-खमाड़ी सड़क के उन्नयन और जिला ऊना में सीआरआईएफ के तहत स्वां नदी पर 560 मीटर लंबे पुल के निर्माण के राज्य के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए आदेश पारित करने का भी आग्रह किया।

उन्होंने बताया कि बिहरू से लठियानी राष्ट्रीय राजमार्ग-503-ए में 153 किलोमीटर लंबे मिलसग लिंक के लिए मंजूरी भी लंबित है। उन्होंने संशोधित अनुमानों के कारण लम्बित ठियोग बाईपास को शीघ्र ही स्वीकृति प्रदान करने का भी आग्रह किया।

उन्होंने केंद्रीय मंत्री से वार्षिक योजना 2023-24 में नालागढ़ से स्वारघाट तक 31.275 किलोमीटर, कालाअंब-पांवटा साहिब-देहरादून का 50 किलोमीटर, अंब से ऊना और पंजाब सीमा से नादौन तक 85 किलोमीटर और 4 किलोमीटर के ऊना बाईपास भाग को राष्ट्रीय राजमार्ग फोरलेन परियोजनाओं के तहत तथा नाहन से कुमारहट्टी तक 73 किलोमीटर, चक्की-बनीखेत-चंबा-भरमौर का 52 किलोमीटर, जलोड़ी पास में 4.20 किलोमीटर डबल लेन टनल के निर्माण को डबल लेन परियोजनाओं के तहत स्वी ति प्रदान करने का आग्रह किया। उन्होंने वार्षिक योजना 2023-24 के तहत खड़ापत्थर में 2.80 किलोमीटर लंबी सुरंग के निर्माण के लिए परियोजना प्रबन्धन एजेंसी को शामिल करने का भी आग्रह किया।

उन्होंने राज्य लोक निर्माण विभाग के राष्ट्रीय राजमार्ग विंग को सुदृढ़ करने पर भी चर्चा की।

इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने लम्बित परियोजनाओं को समय पर पूर्ण करने के लिए हरसंभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया।

राज्य सरकार ओपन हाइड्रो पॉलिसी लाएगी: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्दर सिंह सुक्खू ने इंडिपेंडेंट पावर प्रोडयूसर्स एसोसिएशन के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए सभी समस्याओं को दूर कर उनकी परियोजनाओं को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उनकी विद्युत परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए सभी मंजूरियां प्राप्त करने में सहयोग प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि यदि कोई ग्राम पंचायत निर्धारित समयावधि में अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं देती है तो उसे स्वीकृत माना जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विद्युत उत्पादकों की सुविधा के लिए ओपन हाइड्रो पॉलिसी लाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन के अलावा जल विद्युत क्षेत्र प्रदेश के राजस्व का मुख्य स्रोत है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए जल उपकर अधिनियम पारित किया है। उन्होंने अधिनियम को लागू करने के लिए जल उपकर की मात्रा पर आईपीपी से प्रस्ताव मांगा और कहा कि सरकार उनके प्रस्ताव पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा स्थापित विद्युत परियोजनाओं खासकर अपना खर्च पूर्ण करने वाली परियोजनाओं में रॉयल्टी बढ़ाने का मुद्दा भी उठा रही है। आईपीपी की मांग पर मुख्यमंत्री ने एचपीपीटीसीएल को विद्युत पारेषण लाइन (पावर ट्रांसमिशन लाइन) बिछाने में तेजी लाने के निर्देश दिए ताकि उत्पादन स्थलों से विद्युत की आपूर्ति समयबद्ध की जा सके और विद्युत उत्पादकों को वित्तीय नुकसान का सामना न करना पड़े।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार 41 विद्युत परियोजनाओं के लिए विद्युत खरीद समझौते की तारीख के बजाय वाणिज्यिक संचालन की तारीख से बिजली दरों की गणना के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग को भी वास्तविक आधार पर रॉयल्टी यानी 12, 18 और 30 प्रतिशत पर विचार करने के लिए परामर्श देगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 111 मिनी और माइक्रो ऊर्जा परियोजनाएं राज्य के खजाने में 223.60 करोड़ रुपये का योगदान कर रही हैं। उन्होंने आईपीपी से कहा कि वे अपनी विद्युत परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करें ताकि इन परियोजनाओं का लाभ जल्द से जल्द उठाया जा सके। उन्होंने कहा कि आईपीपी के माध्यम से 3539 मेगावॉट विद्युत उत्पादन की क्षमता है, जिसमें से अभी तक केवल 754 मेगावॉट का दोहन किया जा सका है।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार सौर और पवन ऊर्जा के दोहन को प्राथमिकता दे रही है। राज्य सरकार ने जहां इस वर्ष के दौरान 500 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है, वहह राज्य में पवन ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए भी अध्ययन किया जा रहा है।

बैठक में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, विधायक चंद्रशेखर, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भरत खेड़ा, सचिव जल शक्ति अमिताभ अवस्थी, प्रबंध निदेशक हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन लिमिटेड ऋग्वेद ठाकुर, निदेशक ऊर्जा हरिकेश मीणा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने पर्यावरण संरक्षण में उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कार प्रदान किए

शिमला/शैल। विश्व पर्यावरण दिवस पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पीटरहॉफ में आयोजित समोराह में पर्यावरण संरक्षण तथा सत्त विकास की दिशा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले विभिन्न संगठनों को पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया। विजेताओं को प्रथम पुरस्कार के रूप में 50 हजार रुपये तथा द्वितीय पुरस्कार के रूप में 25 हजार रुपये की राशि प्रदान की गयी।

विद्यालय श्रेणी में राजकीय प्राथमिक पाठशाला डगराहां, जिला बिलासपुर को प्रथम, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बघेरी जिला सोलन को द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया। गैर सरकारी संगठन की श्रेणी में मैसर्ज क्रिच क्लीनिंग प्राइवेट लिमिटेड, जिला कुल्लू को प्रथम जबकि पर्यावरण सोसायटी नाहन, जिला सिरमौर और जैव विविधता पार्क भुलाह, जिला मंडी को संयुक्त रूप से द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया।

उद्योग श्रेणी में मेसर्ज ल्यूमिनस पावर टेक प्राइवेट लिमिटेड, गगरेट, जिला ऊना ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया, जबकि मेसर्ज नेस्ले इंडिया लिमिटेड टाहलीवाल, जिला ऊना और मेसर्ज फेरमेंटा बायोटेक लिमिटेड, जिला मंडी को संयुक्त रूप से द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया। अस्पताल श्रेणी में नागरिक अस्पताल सुंदरनगर जिला मण्डी को प्रथम, जबकि नागरिक अस्पताल सरकाघाट जिला मण्डी ने द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया। व्यक्तिगत श्रेणी में प्रथम पुरस्कार जुब्बल जिला शिमला निवासी ओम प्रकाश शर्मा तथा द्वितीय पुरस्कार पंजेहटी जिला मंडी निवासी डॉ. तारा देवी को प्रदान किया गया। शहरी स्थानीय निकाय श्रेणी में प्रथम पुरस्कार नगर परिषद सुजानपुर, जिला हमीरपुर तथा द्वितीय पुरस्कार नगर पंचायत अर्की, जिला सोलन को प्रदान किया गया।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर नारा लेखन, चित्रकला तथा निबंध लेखन के विजेताओं को भी पुरस्कृत किया।

कर्ज पर निर्भरता को कम करेगी प्रदेश सरकार: मुख्यमंत्री

प्रदेश सरकार का संसाधन जुटाने पर विशेष बल

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति पूर्व भाजपा सरकार द्वारा विरासत में छोड़े गए 75,000 करोड़ रुपये के कर्ज तथा वर्तमान सरकार द्वारा पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने पर केंद्र सरकार की ओर से लगाए गए वित्तीय प्रतिबंधों के कारण ठीक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद राज्य सरकार सक्रिय रूप से संसाधन जुटाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने अतिरिक्त राजस्व जुटाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें उन केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों की विद्युत परियोजनाओं में बड़ी हिस्सेदारी की मांग करना शामिल है, जिन्होंने अपनी लागत वसूल कर ली है। इसके अलावा, सरकार को शराब की दुकानों की नीलामी से 40 प्रतिशत अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खराब वित्तीय स्थिति के बावजूद विकास की गति को बनाए रखने के लिए प्रयासरत है। राज्य सरकार संसाधनों को बढ़ाने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि धन की कमी राज्य की प्रगति में बाधा न बने।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के लिए बाहरी सहायता प्राप्त एजेंसियों के माध्यम से सहायता के नए प्रस्तावों पर अधिकतम सीमा निर्धारित की है। यह प्रतिबंध 2023-24 से 2025-26 तक तीन वर्षों के लिए लागू रहेगा। वित्तीय वर्ष 2025-26 की समाप्ति तक हिमाचल प्रदेश भारत सरकार से मात्र 2,944 करोड़ रुपये के प्रस्तावों की स्वीकृति के लिए पात्र होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के निर्णय से वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए उधार सीमा से 1,779 करोड रुपये की कटौती की गई है। इसके अतिरिक्त, खुले बाजार से उधार लेने की सीमा को गत वर्ष की तुलना में लगभग 5,500 करोड़ रुपये कम कर दिया गया है। दिसंबर 2023 तक प्रदेश सरकार को 4,259 करोड़ रुपये उधार लेने की अनुमति मिली है, साथ ही प्रदेश को लगभग 8,500 करोड़ रुपये के लिए अतिरिक्त अनुमति प्राप्त होने की भी उम्मीद है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन चुनौतियों के बावजूद राज्य सरकार संसाधन जुटाने पर विशेष बल दे रही है। राज्य सरकार का लक्ष्य उधार पर निर्भरता कम करना और राज्य को आत्मनिर्भर बनाना है। सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं और समाज के सभी वर्गों के सहयोग से प्रदेश सरकार का लक्ष्य अगले दस वर्षों के भीतर हिमाचल प्रदेश को देश का सबसे समृद्ध राज्य बनाना है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 110 रुपये प्रति लीटर मिलेगा सरसों का तेल:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों को उपदान दरों पर गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करते हुए उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से दिये जाने वाला सरसों का तेल 110 रुपये प्रति लीटर उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों को सरसों का तेल अब पहले की तुलना में लगभग 37 रुपये प्रति लीटर सस्ता उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि जून, 2023 से पहले गरीबी रेखा से नीचे लाभालथयों को सरसों का तेल 142 रुपये प्रति लीटर तथा गरीबी रेखा से ऊपर के लाभार्थियों को 147 रूपये प्रति लीटर की दर से प्राप्त हो रहा था।

मुख्यमंत्रे कहा कि प्रदेश सरकार समाज के सभी वर्गों को राहत प्रदान करने के लिए वचनब) है। इस दिशा में निरन्तर सकारात्मक ष्टिकोण के साथ जन हितैषी निर्णय लिये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि उपभोद्राओं को किफायती दरों पर गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न प्रदान किये जाएं।

ठाकुर सुखलवदर लसह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 19 लाख 74 हजार 790 राशन कार्ड धारक हैं, जिन्हें 5197 उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से उपदान दरों पर विभिन्न खाद्यान्न प्रदान किये जा रहे हैं।

जनजातीय जिला के लिए 500 करोड़ रुपये का बजट प्रस्ताव

प्रदेश सरकार जनजातीय क्षेत्रों में पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध

शिमला/शैल। शीत मरूस्थल के नाम से विख्यात हिमाचल प्रदेश का जनजातीय जिला लाहौल स्पीति मनभावन दृष्यों नदियों, झीलों और बौद्ध संस्कृति का अनूठा समागम है। जिले में धार्मिक और इको पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। प्रदेश सरकार ने क्षेत्र की पर्यटन क्षमताओं के दृष्टिगत इस क्षेत्र में पर्यटन के नए आयाम स्थापित करने की परिकल्पना की है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार को 500 करोड़ रुपये का बजट प्रस्ताव स्वीकृति के लिए भेजा है।

यह जनजातीय जिले में ईको टूरिज्म को बढ़ावा देने में काफी मद्दगार साबित होगा। इसके अतिरिक्त यह परियोजना जिले के अनछूए गन्तव्यों में पर्यटकों के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा तैयार करने में सहायता करेगी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इसके अलावा दालंग गांव में 22 करोड़ रुपये की पर्यटन परियोजना प्रगति पर है, जो पर्यटकों को आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

लाहौल स्पीति के प्रवेश द्वार के रूप में प्रसिद्ध अटल टनल रोहतांग का शिलान्यास जून, 2010 को नेशनल एडवाईजरी कांउसिल की तत्कालीन अध्यक्षा सोनिया गांधी ने किया था। इस टनल को अक्तूबर, 2020 में यातायात के लिए खोल दिया गया है। अटल टनल के खुलने से घाटी में पर्यटन उद्योग में आशातीत बढ़ौत्तरी देखने को मिली है। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मनाली-लेह राजमार्ग के लिए भी यह टनल वरदान है। जनजातीय जिले के मुख्यालय केलांग की दूरी कम करने के अलावा, यह देसी और विदेशी पर्यटकों के लिए एक प्रसिद्ध गंतव्य के रूप में उभरा है।

स्थानीय किसान राम लाल ने कहा कि अटल सुरंग के खुलने से उनके जीवन में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। पहले किसानों को अपनी उपज के समय पर विपणन के लिए खराब मौसम के कारण समझौता करना पड़ता था। कई बार सर्दी के मौसम में रोहतांग दर्रा बंद होने के कारण उनकी उपज बाजार तक सही समय पर नहीं पहुंच पाती थी। अटल सुरंग के खुलने के अब परिदृश्य पूरी तरह से बदल गया है, जिससे वे साल भर अपनी उपज को अच्छे दामों पर बाजार में बेचने के लिए सक्षम हो गए हैं।

क्षेत्र में आने वाले पर्यटक भी स्थानीय उत्पादों की अच्छी खरीदारी करते हैं जिससे स्थानीय लोगों की आर्थिकी सुदृढ़ हो रही है। लाहौल स्पीति की घाटियाँ प्रकृति प्रेमियों, फोटोग्राफरों और साहसिक गतिविधियों में रूचि रखने वाले पर्यटकों के लिए स्वर्ग है। हिमाचल प्रदेश के दूरस्थ गंतव्य लाहौल स्पीति के दूरदराज के गांव, स्वच्छ और सुन्दर झीलें, पवित्र मठ और मंदिर, समृद्ध वन्य जीवन और शानदार व्यंजन, यहां हर तरह के पर्यटकों के लिए कुछ खास हैं। राज्य सरकार इस जनजातीय जिले को हिमाचल में एक पसंदीदा पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए प्रयासरत है। यहां पर्यटकों के मनोरंजन के लिए ट्रेकिंग अभियान, रिवर राफ्टिंग, बाइकिंग और स्कीइंग जैसी साहसिक गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है।

राज्य कर एवं आबकारी विभाग द्वारा राजस्व एकत्रीकरण में 13 प्रतिशत वृद्धि: युनूस

शिमला/शैल। आयुक्त, राज्य कर एवं आबकारी विभाग युनूस ने बताया कि वर्तमान वित्त वर्ष में 31 मई तक विभाग ने 13 प्रतिशत राजस्व वृद्धि के साथ 1004 करोड़ रुपये एकत्र किए हैं जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में इस अवधि के दौरान 890 करोड़ रुपये एकत्रित किए गए थे।

उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा रिटर्न की निगरानी, रिटर्न की त्वरित जांच, जीएसटी ऑडिट को समय पर पूरा करने और जीएसटी संग्रह में सुधार के लिए कर अधिकारियों की क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। विभाग ने इस वित्त वर्ष के दौरान 13 लाख ई-वे बिलों के सत्यापन का लक्ष्य निर्धारित किया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के प्रथम दो माह में विभागीय अधिकारियों द्वारा 1.85 लाख रुपये ई-वे बिलों का सत्यापन किया गया तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों से 92 लाख रुपये जुर्माने के रूप में वसूल किए हैं।

उन्होंने बताया कि विभाग फर्जी करदाताओं पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और पिछले कुछ महीनों में कई गैर-मौजूदा पंजीकरणों का भी पता चला है। 15 मई, 2023 को फर्जी जीएसटी पंजीकरण के खिलाफ दो महीने का पैन इंडिया विशेष अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य फर्जी जीएसटी पंजीकरण को उजागर करना और झूठे इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के दावों को फर्जी तरीके से किए जाने पर रोक लगाना है। इससे राज्य में राजस्व हानि को रोकने में भी सहायता मिलेगी। अभियान के पहले चरण में विभाग ने 129 संदिग्ध फर्मों का सत्यापन करते हुए 8 फर्जी फर्मों की पहचान की है और 10.49 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी का पता लगाया गया है।

विभाग ने पहले कुछ फर्मों का निरीक्षण किया था, जिन पर फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट देने में शामिल होने का संदेह था। फर्जी टैक्स दाताओं के खिलाफ कड़ी कारवाई की जा रही है।

विभाग जीएसटी राजस्व और क्षमता वृद्धि परियोजना के कार्यान्वयन के लिए दृढ़ता से प्रयास कर रहा है। इससे विभाग की डेटा विश्लेषण क्षमताओं में भी महत्वपूर्ण सुधार की उम्मीद है।

मस्तिष्क की शक्तियां सूर्य की किरणों के समान हैं। जब वो केन्द्रित होती हैं, चमक उठती हैं।

..... स्वामी विवेकानंद

सम्पादकीय

बृजभूषण की बाहूबलिता के आगे बौनी पड़ती भाजपा

अखिल भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों द्वारा लगाये गये यौन शोषण के आरोपों का मामला जिस मोड़ पर पहुंच चुका है। अब उस पर देश की निगाहें लग चुकी है। क्योंकि जब यौन शोषण के ऐसे ही आरोप एक समय पूर्व विदेश राज्य मंत्री एम. जे. अकबर के खिलाफ लगे थे तब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उनके खिलाफ कारवाई करने में न संकोच किया था और न ही देरी। लेकिन अब देरी और संकोच दोनों बराबर चले हुये हैं। क्योंकि बृजभूषण छः बार के सांसद हैं बल्कि जब एक बार टाडा मामले में तिहाड़ जेल में बन्द थे तब उनकी पत्नी ने उनके स्थान पर चुनाव लड़ा था और जीत गयी थी। आज तो उनका एक बेटा भी विधायक है। लग्जरी गाड़ियों और हेलीकॉप्टर के मालिक इस बाहूबली सांसद का उत्तर प्रदेश के इलाकों में भारी राजनीतिक प्रभाव और दबदबा है जो भाजपा को उनके खिलाफ कारवाई करने से रोक रहा है। लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब और राजस्थान में अब इस प्रकरण से राजनीतिक नुकसान होने का भी डर हो गया है। इस डर के परिप्रेक्ष में माना जा रहा है कि जल्द ही प्रधानमंत्री को इस पर अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ेगी।

बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दो वर्ष पहले ही ऐसे आरोपों की एक शिकायत प्रधानमंत्री के पास आ चुकी थी यह स्पष्ट हो चुका है। जब प्रधानमंत्री इन आरोपों पर खामोश रहे तो खेल मंत्री से लेकर अन्य भाजपा नेताओं में यह साहस कैसे हो सकता था कि कोई भी इस पर जुबान खोलता। इन महिला पहलवानों को जन्तर मन्तर के धरना प्रदर्शन से लेकर कैसे सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाकर इस मामले में एफ.आई.आर. दर्ज करवाने तक पहुंचना पड़ा है यह पूरे देश को स्पष्ट हो चुका है। यह एक सामान्य समझ की बात है कि एक महिला को यौन शोषण का आरोप लगाने से पूर्व किस मनोदशा से गुजरना पड़ता है। इन बेटियों को किस मानसिकता के साथ अदालत और धरने प्रदर्शन तक आना पड़ा होगा यह सोचकर ही आम आदमी सिहर उठता है। अब 28 अप्रैल को जो दो एफ.आई.आर. इस प्रकरण में दर्ज हुई है उनका विवरण पढ़कर ही रौंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन यह एफ.आई.आर. दर्ज होने के बाद भी जब पूरी भाजपा इस प्रकरण पर खामोश रहे तो समझ आ जाता है कि चुनावी लाभ के लिये यह लोग कुछ भी दाव पर लगा सकते हैं। इस व्यक्ति को अभी तक पार्टी से बाहर न कर पाना शीर्ष से लेकर नीचे तक की बहुत सारी कहानी ब्यान कर देता है।

यह सही है कि अदालत एफ.आई.आर. दर्ज करने के निर्देश दे सकती हैं लेकिन किसी को गिरफ्तार करने के नहीं। परन्तु सरकारें नियमों कानूनों के साथ लोकलाज से भी चलती हैं। आज यदि अन्तर्राष्ट्रीय पदक विजेता महिला पहलवानों को भी न्याय मांगने के लिये इस तरह का संघर्ष करना पड़े तो आम आदमी की स्थिति क्या होगी इसका अनुमान लगाया जा सकता है। आज पूरे समाज का दायित्व बन जाता है कि वह इन महिला पहलवानों के साथ खड़ा होकर इनकी लड़ाई लड़े। क्योंकि यह बेटियां पूरे समाज की है। जब यह बेटियां अपने पदक मां गंगा में प्रवाहित करने जा रही थी तब इनकी हताशा और निराशा का अन्दाजा लगाया जा सकता है। इसी के साथ यह सोचने का भी अवसर है कि जो सरकार चुनावी लाभ के लिये ऐसी बेटियों की इज्जत की भी रक्षा करने और उन्हें न्याय दिलाने का साहस न दिखा पाये उसके उन आश्वासनों पर कैसे भरोसा किया जा सकता है कि वह संसद और विधानसभाओं को अपराधियों से मुक्त करवायेगी।

मिशन लाइफ पर बल देने के साथ विश्व पर्यावरण दिवस 2023 मनाया गया

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मिशन लाइफ पर बल देने के साथ 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन किया। लाइफ की अवधारणा, यानी पर्यावरण के लिए जीवन शैली, को प्रधानमंत्री ने सीओपी 26 में ग्लासगो में विश्व नेताओं के शिखर सम्मेलन में प्रस्तुत किया था, जब उन्होंने पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली और व्यवहारों को अपनाने के लिए एक वैश्विक प्रयास को फिर से जागृत करने का आहवान किया था।

मिशन लाइफ के एक भाग के रूप में, 75 विशिष्ट लाइफ कार्यों की एक व्यापक और गैर-संपूर्ण सूची की पहचान 7 विषयों में की गयी है । जल बचत, ऊर्जा बचत, कचरे को कम करना, ई-कचरे को कम करना, एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक में कटौती, टिकाऊ खाद्य प्रणालियों को अपनाना और स्वस्थ जीवन शैली को अपनाना। इस वर्ष के विश्व पर्यावरण दिवस का विषय 'प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान' है, यह एक विषय है जो मिशन लाइफ के 7 विषयों में से एक के साथ सरेखित है: 'एकल-उपयोग प्लास्टिक को ना कहना' और कई लाइफ कार्यों के कार्यान्वयन से भी जुड़ा हुआ है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो संदेश के माध्यम से विश्व पर्यावरण दिवस पर उपस्थित लोगों को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए, उन्होंने रेखांकित किया कि भारत ने पहले ही दो चरणों में प्लास्टिक प्रदूषण के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं- एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध और अनिवार्य प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करण।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने वर्तमान आवश्यकताओं और भविष्य के विजन के बीच संतुलन बनाए रखते हुए जलवायु परिवर्तन तथा पर्यावरण संरक्षण से निपटने के लिए एक रोडमैप तैयार किया है और पिछले 9 वर्षों में ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, प्राकृतिक खेती के प्रयासों, हरित और स्वच्छ ऊर्जा पर फोकस जैसी विभिन्न पहल शुरू की गम्र हैं। वैश्विक महामारी के बीच भी भारत ने पारिस्थितिकी और अर्थव्यवस्था के बीच संतुलन बनाए रखते हुए प्रगति जारी रखी। उन्होंने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर अमृत धरोहर और मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर तटीय निवास तथा वास्तविक आय (मिष्टी) पहल शुरू करने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने अमृत धरोहर और मिष्टी के बारे में 'जन भागीदारी' के साथ आर्द्रभूमि और मैंग्रोव पुनःस्थापन पर भारत की उपलब्धि की चर्चा की, जो इकोटूरिज्म के केंद्र के रूप में काम कर सकता है और हरित रोजगार भी पैदा कर सकता है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष जलवायु न्याय के विषय को सफलतापूर्वक कैसे उठाया है। प्रधानमंत्री ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के साधन के रूप में लाइफ की प्रासंगिकता और वैश्विक स्तर पर इसके बढ़ते महत्व पर जोर दिया। उन्होंने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि लाइफ एक वैश्विक जन आंदोलन में बदल रहा है। प्रधानमंत्री ने मिशन लाइफ पर जन सक्रियता अभियान का उल्लेख किया, जिसमें एक महीने से भी कम समय में लाइफ पर जन सक्रियता अभियान में 2 करोड़ से अधिक लोग शामिल हुए थे।

इस अवसर पर केन्द्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेन्द्र यादव ने लाइफ पर पेंटिंग और डिजिटल प्रदर्शनी का अवलोकन किया और सभा को संबोधित भी किया। इस अवसर पर यादव ने 2018 में मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री के प्लास्टिक समाधान के वैश्विक आहवान को याद किया। इस आहवान के अनुरूप भारत ने 2022 में चिन्हित एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके कार्यान्वयन के साथ-साथ इस निर्णय को न केवल घरेलू स्तर पर स्वीकार किया गया है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी इसकी सराहना की गयी है। उन्होंने इंडियन ऑयल की 'अनबोटल्ड' पहल के बारे में बात की। यादव ने मिशन लाइफ और पेरिस समझौते की प्रस्तावना, सीओपी 27 के कवर निर्णय, आईपीसीसी तीसरे कार्य समूह की रिपोर्ट और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के हाल के पेपर जैसे विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेजों में इसके संदर्भ के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि भारत द्वारा तीन अंतरराष्ट्रीय पहलों के अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन तथा उद्योग संक्रमण के लिए नेतृत्व समूह, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस भी हाल ही में लॉन्च किया गया था।

एक वीडियो में 5 जून, 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में समाप्त होने वाले महीने भर के जन सक्रियता अभियान के दौरान की गयी गतिविधियों को प्रदर्शित किया गया। मेरी लाइफ पोर्टल (merilife.org) मंत्रालयों और संस्थानों के लिए इवेंट रिपोर्ट अपलोड करने के लिए विकसित किया गया है। जैसा कि मेरी लाइफ पोर्टल में दिखाया गया है, इस एक महीने के दौरान देश भर में लगभग 2 करोड़ व्यक्तियों की भागीदारी के साथ 13 लाख से अधिक कार्यक्रम हुए, जिसमें 1.8 करोड़ नागरिकों द्वारा प्रतिज्ञा ली गयी।

इस अवसर पर मंत्रालय की दो नयी पहलों अमृत धरोहर और मिष्टी से संबंधित वीडियो भी जारी किए गए। आजादी के 75 वें वर्ष के दौरान एक महत्वपूर्ण मील के पत्थर के रूप में 75 आर्द्रभूमि को रामसर स्थलों के रूप में नामित किया गया है यानी अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि। वर्ष 2014 में केवल 26 से बढ़कर अब यह एशिया में रामसर स्थलों के दूसरे सबसे बड़े नेटवर्क का घर है। भारत सरकार ने रामसर स्थलों के संरक्षण के महत्व को स्वीकार करते हुए रामसर स्थलों के अद्वितीय संरक्षण मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए इस वर्ष की बजट घोषणा के हिस्से के रूप में 'अमृत धरोहर' पहल की घोषणा की। आर्द्रभूमि इकोसिस्टम के संरक्षण में स्थानीय समुदायों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, ''अमृत धरोहर'' की कार्यान्वयन रणनीति प्रारंभ की गयी, जो सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से संरक्षण के दर्शन और संरक्षण के माध्यम से समृद्धि के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का एक और उदाहरण है।

मिष्टी: मैंग्रोव को बढ़ावा देने तथा संरक्षित रखने के लिए केंद्रीय बजट 2023-24 में ''तटीय आवासों और वास्तविक आय के लिए मैंग्रोव पहल'' की घोषणा की गयी थी। मैंग्रोव अद्वितीय, प्राकृतिक इकोसिस्टम है जिनमें बायो-शील्ड के रूप में काम करने के अतिरिक्त बहुत अधिक जैविक उत्पादकता और कार्बन को अलग करने की क्षमता है। मिष्टी कार्यक्रम आज तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सक्रिय भागीदारी के साथ शुरू किया गया। यह कार्यक्रम पांच वर्षों (2023-2028) में नौ तटीय राज्यों और चार केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 540 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करेगा। यह 4.5 मिलियन टन कार्बन के अनुमानित कार्बन सिंक के साथ लगभग 22.8 मिलियन मानव दिवस बनाएगा। यह प्रकृति पर्यटन और स्थानीय समुदायों के लिए आजीविका क्षमता के लिए संभावित क्षेत्रों का भी निर्माण करेगा। मैंग्रोव वृक्षारोपण अभियान 75 से अधिक मैंग्रोव स्थलों पर भी आयोजित किया गया। इस अभियान में जन प्रतिनिधियों, स्थानीय लोगों, ग्राम समुदायों, शैक्षणिक संस्थानों और अन्य हितधारकों की वृक्षारोपण गतिविधियों के माध्यम से भागीदारी देखी गयी।

कार्यक्रम में नीति आयोग के ग्लोबल कॉल फॉर आइडियाज एंड पेपर्स के विजेताओं के लिए पुरस्कार समारोह आयोजित हुआ। 5 जून 2022 को, प्रधानमंत्री ने मिशन लाइफ और लाइफ ग्लोबल कॉल फॉर आइडियास एण्ड पेपर के वैश्विक आंदोलन का शुभारंभ किया था, जिसमें व्यक्तियों, विश्वविद्यालयों, थिंक टैंक, गैर-लाभकारी और विश्व भर के अन्य लोगों को आमंत्रित किया गया था कि वे व्यवहार-परिवर्तन प्रस्तुत करें। ग्लोबल कॉल फॉर आइडियाज एंड पेपर्स ने दो चरणों में प्रस्तुतियां आमंत्रित की। शीर्ष 5 विजेता विचारों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए एक 7 सदस्यीय मूल्यांकन समिति ने मूल्यांकन के दो दौर आयोजित किए। केंद्रीय मंत्री यादव ने नीति आयोग के ग्लोबल कॉल फॉर आइडियाज एंड पेपर्स के 5 विजेताओं को सम्मानित किया।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय (एनएमएनएच) ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) भारत के सहयोग से कक्षा 8 से 12 के स्कूली विद्यार्थियों के लिए ''अंतर-स्कूल पेंटिंग प्रतियोगिता'' का आयोजन किया। 25 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों से कुल 5,980 चित्र प्राप्त हुए। केंद्रीय मंत्री ने इस चित्रकला प्रतियोगिता के 3 विजेताओं को सम्मानित भी किया।

यादव ने नीति आयोग द्वारा तैयार तीन सार संग्रह- हमारे ग्रह के लिए सोचना, माइंडफुल लिविंग, और लाइफ के लिए विचार नेतृत्व-भी जारी किए।

पर्यावरण दिवस पर विशेष

दैनिक जीवन में पर्यावरण का महत्व समझें और पर्यावरण संरक्षण की पूरी कोशिश करें

–प्रेम कुमार धूमल–
पूर्व मुख्यमन्त्री, हि0 प्र0

हम हर वर्ष 5 जून को ''विश्व पर्यावरण दिवस'' मनाते हैं। आने वाले 21 जून को हम ''विश्व योग दिवस'' मनायेंगे । पर योग की आवश्यकता क्या एक दिन ही होती है ? स्वस्थ रहने के लिए तो नियमित दैनिक योगाभ्यास करना चाहिए। इसी प्रकार से पर्यावरण दिवस एक दिन मना कर हमारी जिम्मेदारी पूर्ण नहीं होती अपितु हम अपने दैनिक जीवन में पर्यावरण का महत्व समझें और पर्यावरण संरक्षण की पूरी कोशिश करें ।

केवल औपचारिकता मात्र से हम अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते और लक्ष्य है क्या? जहां तक पर्यावरण संरक्षण की बात है तो यह लक्ष्य है कि यह ब्रहमाण्ड हमें जिस सुन्दर अवस्था में मिला था उससे अधिक सुन्दर बनाकर हम इसे आने वाली पीढ़ीयों के लिए छोड़ कर जायें। अगर अधिक सुन्दर न बना सकें तो कम से कम इसे खराब तो न करें। इसके लिए प्रत्येक नागरिक को - देश, विश्व और आने वाली पीढ़ीयों के प्रति अपना योगदान क्रियात्मक तौर पर देना होगा। उदाहरण के तौर पर हर कोई मानता है कि पॉलीथीन और प्लास्टिक पर्यावरण के लिए बड़े घातक हैं। सरकारें कानून तो बना सकती हैं परन्तु उनको लागू करने में व्यक्ति का और समाज का योगदान अति आवश्यक है।

हम अक्सर यह चर्चा करते और सुनते हैं कि आने वाले समय में शुद्ध जल की बड़ी गम्भीर समस्या होगी और कई बार तो यह कहा जाता है कि तीसरा विश्व युद्ध पानी के लिए होगा। परन्तु क्या हम अपने दैनिक जीवन में जल बचाने का प्रयास करते हैं? क्या प्रात: ब्रश करते समय या शेव करते हुये हम पानी का नल ब्यर्थ में चलता तो नहीं रहने देते? नहाने में या अन्य उपयोग में थोड़ा थोड़ा पानी बचाना जल संरक्षण के प्रति हमारा योगदान हो सकता है ।

जल संरक्षण के लिए वर्षाजल का संचय करना अनिवार्य होना चाहिए। जल संरक्षण कार्यो के अनुश्रवण और मूल्यांकन करने हेतु एक राज्य स्तरीय टास्क फोर्स होनी चाहिए । सरकारी और गैर सरकारी भवनों, होटलों, उद्योगों में वर्षा जल को

संग्रहण करने के लिए टैंक निर्मित होने चाहिए, यह अनिवार्य हो। इसके बिना किसी सरकारी अथवा गैर सरकारी भवन का नक्शा स्वीकृत नहीं होना चाहिए। पन-विद्युत परियोजनाओं के लिए जब पानी डायवर्ट किया जाता है तब भी मुख्य नदी की पारस्थितिकी का रखरखाव ठीक प्रकार से करने के लिए 15 प्रतिशत् पानी का बहाव मुख्य नदी में अनिवार्य हो ।

जहां भी प्रोजेक्ट निर्माण हो भवन निर्माण हो या सड़क निर्माण हो वहां पर पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए डम्पिग साईट का चयन काम शुरू होने से पहले हो और पर्यावरण संरक्षण के लिए बताये गये कदमों को लागू करवाने की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों और कर्मचारियों की हो और लापरवाही के मामले में उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी मानी जाये। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने के लिए कोयले व अन्य ईंधन, जीवाश्म ईंधन के जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध हो।

कुछ छोटे छोटे सुझाव हैं जो हम व्यक्तिगत, परिवारिक और सामाजिक तौर पर सहयोग कर के पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं। जैसे हम स्वयं पॉलीथीन और प्लास्टिक के कैरी बैगज का उपयोग पूर्ण रूप से बन्द कर दें। ''पॉलीथीन हटाओ, पर्यावरण बचाओ'' अभियान को राष्ट्रीय स्तर तक गम्भीरता से लागू करके हम बड़ा योगदान कर सकते हैं।

हमने हिमाचल प्रदेश में सत्ता में रहते हुये यह करके दिखाया था। पॉलीथीन और प्लास्टिक के कचरे को एकत्रित करके सड़क निर्माण के कार्य में उपयोग किया था । इसके लिये 21 अप्रैल 2011 को लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार हिमाचल प्रदेश को हमारी उत्कृष्ट पहल पर ''हिमाचल प्रदेश में प्लास्टिक कचरे का स्थाई प्रबंध, संकल्पना से नीति तक'' मिला था।

हमने बच्चों में प्राकृतिक संसाधनों के महत्व तथा पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता लाने हेतु ''पर्यावरण संरक्षण संहिता'' बनाई थी। प्रात:काल विद्यालय में प्रार्थना के बाद यह शपथ दिलाई जाती थी :- शिमला में ''भारतीय हिमालय हिम खण्ड, जलवायु परिवर्तन'' पर चर्चा करने के लिए हिमालयी क्षेत्रों के मुख्यमन्त्रियों का एक सम्मेलन किया था जिसमें भारत सरकार के पर्यावरण मंत्री भी शामिल हुये थे।

''शिमला घोषणा पत्र'' में निम्नलिखित बातें कहीं गई थीं :-

1. हिमालयन सतत् विकास मंच की स्थापना।
2. अनुसंधान का नीति निर्धारण में उपयोग करना।
3. पारिस्थितिकी सेवाओं के लिए भुगतान।
4. सतत् विकास के लिए जल संसाधनों का प्रबंधन।
5. शहरीकरण की चुनौतियां।
6. हरित परिवहन।
7. आजीविका पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटना।
8. उर्जा सुरक्षा का विकेन्द्रीकरण।
9. पर्यावरण के अनुकूल पर्यटन और तीर्थ स्थलों के विकास का प्रबंध।
10. हरित उद्योग।
11. हरित रोजगार सृजन।

वृक्षारोपण अधिक से अधिक हो क्योंकि कार्बन को खत्म करने के लिए वन सबसे बड़ा साधन हैं। वैसे तो पेपरलैस कार्यालय की चर्चा और प्रयास हर तरफ हैं, फिर भी जब तक शत प्रतिशत यह प्रयास लागू नहीं होता तब तक वेस्ट पेपर (ब्यर्थ कागज) को रिसाईकल करके कार्यालयों में पुन: प्रयोग किया जा सकता है।

पौधारोपण द्वारा कार्बन संचय

कार्बन तटस्थता की ओर बढ़ते कदम ।

पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वाले पत्रकारों, लेखकों, मैगजीनों (पत्रिकाओं) समाचार पत्रों को पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकार और सामाजिक संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया जाना चाहिए।

पर्यटन क्षेत्रों में आने वाले पर्यटकों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने हेतु एक पर्यटक आचार संहिता लागू की जानी चाहिए ताकि उनका योगदान भी सुनिश्चित हो । हर व्यक्ति अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए अधिक से अधिक धन संसाधन छोड़ कर जाना चाहता है। जिस प्रकार से पर्यावरण दूषित हो रहा है ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तथाकथित विकसित देश प्रदूषण फैला रहे हैं उन परिस्थितियों को देखते हुये आने वाली पीढ़ी के लिये हमारी सबसे बड़ी विरासत एक सुन्दर, स्वच्छ, कार्बन न्यूट्रल पर्यावरण उसके लिए छोड़ कर जाना होगी। ''महात्मा गान्धी ने कहा था कि प्रकृति ने हमारी आवश्यकता अनुसार उपयोग के लिये पर्याप्त दिया है पर लोभ के लिए नहीं''। इसलिए आवश्यकता के अनुसार प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करें, शोषण नहीं।

कार्बन तटस्था के लिए हमारा नारा हो :-
''हर नागरिक बने पर्यावरण प्रहरी प्रवर,
पर्यावरण संरक्षण में विकास की डगर''

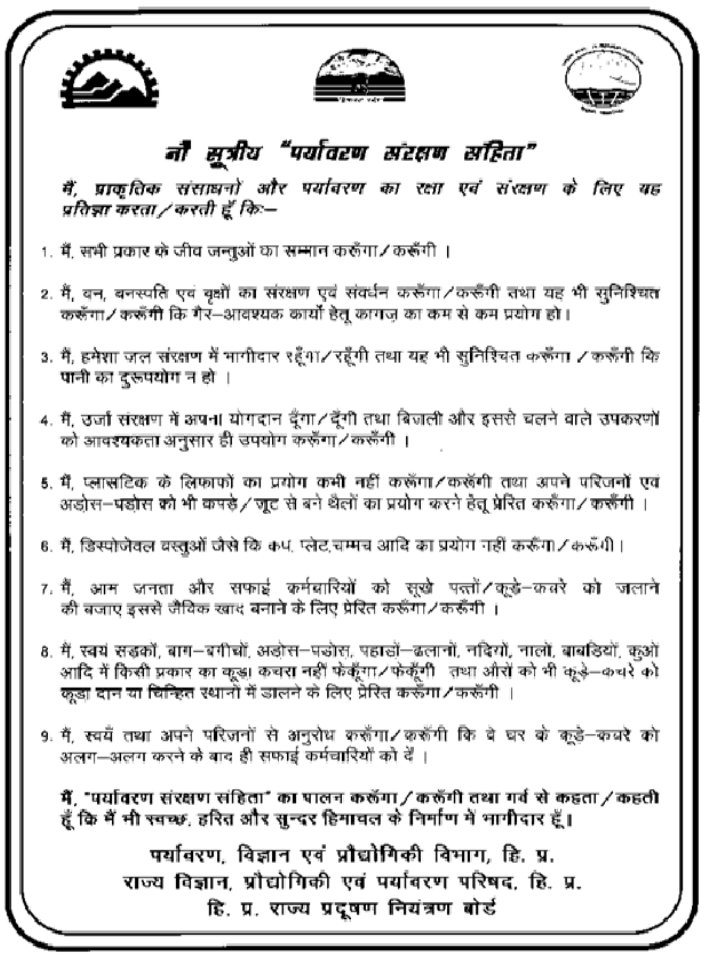

नौ सूत्रीय "पर्यावरण संरक्षण संहिता"

मैं, प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण का रक्षा एवं संरक्षण के लिए यह प्रतिज्ञा करता/करती हूँ कि–

1. मैं, सभी प्रकार के जीव जन्तुओं का सम्मान करूँगा/करूँगी ।
2. मैं, वन, बनस्पति एवं वृक्षों का संरक्षण एवं संवर्धन करूँगा/करूँगी तथा यह भी सुनिश्चित करूँगा/करूँगी कि गैर-आवश्यक कार्यों हेतू कागज़ का कम से कम प्रयोग हो।
3. मैं, हमेशा जल संरक्षण में भागीदार रहूँगा/रहूँगी तथा यह भी सुनिश्चित करूँगा/करूँगी कि पानी का दुरूपयोग न हो ।
4. मैं, उर्जा संरक्षण में अपना योगदान दूँगा/दूँगी तथा बिजली और इससे चलने वाले उपकरणों को आवश्यकता अनुसार ही उपयोग करूँगा/करूँगी ।
5. मैं, प्लास्टिक के लिफाफों का प्रयोग कभी नहीं करूँगा/करूँगी तथा अपने परिजनों एवं अडोस-पड़ोस को भी कपड़े/जूट से बने थैलों का प्रयोग करने हेतू प्रेरित करूँगा/करूँगी ।
6. मैं, डिस्पोजेवल वस्तुओं जैसे कि कप, प्लेट,चम्मच आदि का प्रयोग नहीं करूँगा/करूँगी।
7. मैं, आम जनता और सफाई कर्मचारियों को सूखे पत्तों/कूड़े-कचरे को जलाने की बजाए इससे जैविक खाद बनाने के लिए प्रेरित करूँगा/करूँगी ।
8. मैं, स्वयं सड़कों, बाग-बगीचों, अडोस-पड़ोस, पहाड़ों-ढलानों, नदियों, नालों, बावड़ियों, कुओं आदि में किसी प्रकार का कूड़ा कचरा नहीं फेकूँगा/फेकूँगी तथा औरों को भी कूड़े-कचरे को कूड़ा दान या चिन्हित स्थानों में डालने के लिए प्रेरित करूँगा/करूँगी ।
9. मैं, स्वयँ तथा अपने परिजनों से अनुरोध करूँगा/करूँगी कि वे घर के कूड़े-कचरे को अलग-अलग करने के बाद ही सफाई कर्मचारियों को दें ।

मैं, "पर्यावरण संरक्षण संहिता" का पालन करूँगा/करूँगी तथा गर्व से कहता/कहती हूँ कि मैं भी स्वच्छ, हरित और सुन्दर हिमाचल के निर्माण में भागीदार हूँ।

पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, हि. प्र.
राज्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद, हि. प्र.
हि. प्र. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पोषक अनाजों के संवर्द्धन के लिए प्रदेश सरकार के बहुआयामी प्रयास

शिमला। पौष्टिक अनाज की महत्ता को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष, 2023 को अंतरराष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष घोषित किया है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को आहार में पौष्टिक अनाज के समावेश, इनकी उपयोगिता और किसानों को मोटे अनाज के उत्पादन के लिए प्रेरित करना है।

हिमाचल प्रदेश के लगभग सभी जिलों में पोषणयुक्त मोटे अनाज की खेती की जाती है। कोदा, चोलाई, सांवा और कांगणी प्रदेश में पाये जाने वाले मुख्य पोषक अनाज हैं। इसके अलावा कूट्टू, कुटकी, चीणा, बाजरा और कोदो प्रदेश के अन्य पोषक अनाज हैं। प्रदेश सरकार पोषक अनाजों के संवर्धन के लिए बहुआयामी प्रयास कर रही है। कृषि विभाग मोटे अनाजों को बढ़ावा देने की दिशा में विभिन्न घटकों को शामिल कर एक कार्य योजना बनाकर कार्य कर रहा है। इसके अंतर्गत तकनीकी अधिकारियों के साथ किसानों के एक राज्य स्तरीय कार्य दल का गठन किया गया है। यह कार्य दल किसानों को मोटे अनाजों के बारे में जागरूक कर इनकी पैदावार के लिए प्रेरित कर रहा है।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में इस वर्ष लगभग 4500 हैक्टेयर क्षेत्र में पोषक अनाजों के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अन्तर्गत किसानों को नि:शुल्क 35000 मिनी किट उपलब्ध करवाए जाएंगे। प्रदेश में परम्परागत कृषि विकास योजना, आत्मा, भारतीय प्राकृतिक किसान पद्धति व राष्ट्रीय सतत् खेती मिशन के तहत संगठित किसान समूहों को इस कार्यक्रम के तहत कवर किया जाएगा। प्रदेश में इन फसलों को बढ़ावा देने के लिए किसानों को तकनीक के माध्यम से जागरूक करने के साथ इन्हें उपयुक्त बाजार भी उपलब्ध करवाया जाएगा। मोटे अनाज का उत्पादन करने के लिए किसानों को 80 प्रतिशत उपदान पर बीज उपलब्ध करवाए जाएंगे।

पोषक अनाजों में यह विशेषता है कि इन्हें कम उपजाऊ भूमि के ढलानदार खेतों में बिना किसी खाद या उर्वरक के पैदा किया जा सकता है। यह अनाज इम्यूनिटी बूस्टर का काम करते हैं। इनमें कैल्शियम, आयरन, जिंक, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटाशियम, फाइबर, विटामिन बी-6 प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। मोटा अनाज मधुमेह रोग में फायदेमंद होता है। इसके अतिरिक्त यह अनाज ग्लूटिन मुक्त होते हैं, गेहूं से एलर्जी की समस्या में इसका उपयोग फायदेमंद होता है। लोगों को आहार में मोटे अनाज के महत्त्व से अवगत करवाने के लिए समय-समय पर फूड फेस्टिवल का भी आयोजन करवाया जा रहा है। प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि राज्य में पोषक अनाजों के उत्पादन क्षेत्र में वृद्धि कर किसानों को इनके बेहतर दाम उपलब्ध करवाए जाएं। सरकार इनके उत्पादन के बढ़ने के साथ स्कूली विद्यार्थियों को इनसे बने व्यंजनों को मिड-डे मील में शामिल करने पर विचार कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश की जलवायु के अनुकूल पोषक अनाजों की जिलावार पहचान व इनके स्थानीय व वैज्ञानिक नामों का डेटाबेस तैयार किया जाएगा। इसके साथ विभिन्न पोषक अनाज पैदा करने वाले प्रमुख इलाकों और कलस्टर की पहचान की जाएगी। मोटे अनाजों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए डॉ. यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी, कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर तथा राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो से तकनीकी सहयोग लिया जाएगा।

पोषक अनाजों के बीजों को इकट्ठा कर इनका प्रमाणीकरण कर किसानों में वितरण को बढ़ाया जाएगा। प्रदेश सरकार किसान स्वयं सहायता समूहों, महिला मण्डलों को जागरूक कर इनके उपयोग को बढ़ावा प्रदान करने की दिशा में कार्य कर रही है। सरकार किसान और उपभोक्ताओं को एक कड़ी में जोड़ रही है ताकि पोषक अनाजों को बेचने के लिए एक बेहतर प्रणाली विकसित की जा सके।

पारम्परिक मोटे अनाज की खेती कर मंडी जिला के जागरूक किसान श्री नेकराम शर्मा ने देशभर में अलग पहचान बनाई है। पोषक अनाज के उत्पादन के प्रति उनकी लगन एवं मेहनत का परिणामस्वरूप उन्हें पदमश्री सम्मान से नवाज़ा गया है। वे अब तक लगभग 10 हजार लोगों को वे प्राकृतिक खेती से जोड़ चुके हैं।

राज्य सरकार पोषक अनाजों, व्यंजनों व मूल्यवर्धित उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने के लिए बहुआयामी प्रयास कर रही है।

एचपी शिवा परियोजना के लिए 8 जून को होंगे समझौते पर हस्ताक्षरः मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्दर सिंह सुक्खू ने कहा कि एचपी शिवा परियोजना (हिमाचल प्रदेश उपोष्णकटिबंधीय बागवानी, सिंचाई एवं मूल्य संवर्धन परियोजना) की मुख्य परियोजना के लिए आगामी 8 जून को एशियन विकास बैंक, भारत सरकार तथा हिमाचल सरकार के मध्य ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किये जाएंगे। इस परियोजना की कुल लागत 1292 करोड़ रुपये होगी, जिसमें एशियन विकास बैंक द्वारा 1030 करोड़ रुपये तथा राज्य सरकार द्वारा 262 करोड़ रुपये वहन किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए प्रदेश सरकार निरंतर प्रयास कर रही थी। परियोजना की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए इसे विभिन्न स्तरों पर सफलतापूर्वक उठाया गया। उन्होंने कहा कि परियोजना के लागू होने से राज्य के किसानों को स्वरोजगार के अवसर प्राप्त होंगे तथा राज्य की आर्थिकी में भी वृद्धि होगी। इसके माध्यम से पर्यावरण संरक्षण व संतुलन की दिशा में भी राज्य का योगदान सुनिश्चित होगा।

उन्होंने कहा कि इस परियोजना का क्रियान्वयन राज्य के उपोष्णकटिबंधीय जलवायु वाले निचले क्षेत्रों के 7 जिलों बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, सोलन, सिरमौर तथा ऊना के 28 विकास खण्डों में 162 सिंचाई योजनाओं के माध्यम से 400 बागवानी क्लस्टरों के 6000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में कुल 2 चरणों में किया जाएगा। पहले चरण में चिन्हित किये गये 257 क्लस्टरों के तहत 4000 हेक्टेयर क्षेत्र में किसानों की निजी भूमि पर ''एक फसल-एक क्लस्टर'' अवधारणा के तहत संतरा, अमरूद, अनार, लीची, आम, प्लम, पिकननट, जापानी फल, आदि अन्य उपोष्णकटिबंधीय फलों का रोपण किया जाएगा। शेष 2000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 143 क्लस्टरों, जिनका चिन्हीकरण किया जाना शेष है, का विकास परियोजना के दूसरे चरण में किया जाएगा। इस परियोजना से 15000 किसान-बागवान परिवार प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे। परियोजना में लगभग 60 लाख फल पौध रोपण किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

''बीज से बाजार'' तक की संकल्पना पर आधारित इस परियोजना में किसानों को वैज्ञानिक तथा व्यवसायिक कृषि के साथ-साथ फसलोपरांत मूल्य वर्धन करते हुए बाजार से जोड़ा जाएगा। यह परियोजना हिमाचल प्रदेश को ''फल राज्य'' बनाने के स्वपन को साकार करने की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। परियोजना के तहत क्लस्टरों के चयन के लिए मानदण्ड विकसित करते हुए सहभागी विधि से किया गया है। चिन्हित किये गये क्लस्टरों की फसल उपयुक्ता के लिए मृदा परीक्षण किए गए तथा सुनिश्चित सिंचाई हेतु बहुवार्षिक जल स्रोतों का चिन्हीकरण एंव स्थलीय व्यवहार्यता के लिए भू-स्थानिक सर्वेक्षण के उपरान्त क्लस्टरों का अंतिम चयन किया गया। विपणन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए चिन्हित की गयी 14 फल व फसलों की बाजार मांग के साथ ही इनकी मूल्य श्रृंखला के विभिन्न घटकों का भी अध्ययन किया गया है।

एचपी शिवा परियोजना के पायलट चरण का पूर्व में ही सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जा चुका है, जिसमें 17 क्लस्टरों के अंतर्गत 200 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फल-पौधों का रोपण किया गया है, जिनमें से 12 पायलट क्लस्टरों के किसानों ने संतरा, अमरूद व अनार का उत्पादन कर आर्थिक लाभ लेना आरम्भ कर दिया है।

हिमाचली उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एक जिला, एक उत्पाद की महत्वपूर्ण भूमिकाःमुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के अनूठे उत्पादों को बढ़ावा देने पर बल दे रही है। एक जिला एक उत्पाद पहल इस उद्देश्य को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस अवधारणा को कार्यन्वित करने के लिए राज्य में यूनिटी मॉल की स्थापना की जाएगी, जिसका उद्देश्य देश के सभी जिलों में संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना है। राज्य में समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए प्रत्येक जिले से एक उत्पाद का चयन, ब्रांडिंग और प्रचार किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्पादों का चयन मौजूदा पारिस्थितिकी तंत्र को ध्यान में रखकर किया जाएगा। इस पहल में राज्य और जिला स्तर पर प्रदर्शनियों, क्षमता निर्माण आदि गतिविधियों को भी शामिल किया गया है। राज्य के जीआई-टैग वाले उत्पाद, हस्तशिल्प उत्पाद और अन्य राज्यों के हस्तशिल्प उत्पाद एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगे। हिमाचली शिल्प की अपनी एक विशेष पहचान है। राज्य में निर्मित हस्तशिल्प उत्पाद स्थानीय लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाए जाते थे लेकिन अब ये पर्यटकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं। राज्य में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्पों में लकड़ी की नक्काशी, चमड़े पर कढ़ाई, धातु के बर्तन, कालीन, पेंटिंग और ऊनी वस्त्र शामिल हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में पाई जाने वाली हस्तशिल्प की विशाल श्रृंखला अद्वितीय है जो शिल्पकारों के कलात्मक कौशल को दर्शाती है, इसलिए इसकी ब्रांडिंग पर विशेष बल दिया जा रहा है।

ठाकुर सुखविन्दर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य के शिल्प की अतुलनीय सुंदरता और विविधता लोगों के दिलों में एक अमिट छाप छोड़ती है। यह कुल्लू शॉल, कांगड़ा चाय, हिमाचली चुल्ली का तेल, हिमाचली काला जीरा, चंबा रुमाल, किन्नौरी व कुल्लू शॉल और कांगड़ा पेंटिंग और भी अनेक उत्पाद इसमें शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश के लोगों ने वर्षों से हस्तशिल्प की समृद्ध परंपराओं को विकसित किया है, जो रचनात्मक और विशिष्ट हैं। राज्य सरकार ने 19 और 20 अप्रैल, 2023 को धर्मशाला में जी 20 शिखर सम्मेलन की सफलतापूर्वक मेजबानी की, जिसमें प्रदर्शित राज्य के उत्पादों की विदेशी प्रतिनिधियों ने काफी सराहना की।

उन्होंने कहा कि थंगका पेंटिंग तिब्बती कला शिल्पी विश्व भर में लोकप्रिय एक विशिष्ट कला है, जो बुने हुए कपड़े विशेष रूप से सूती कपड़े पर की जाती है। इन चित्रों में ज्यादातर भगवान महात्मा बुद्ध और अन्य देवी-देवताओं को चित्रित किया जाता है। यह कला विशेष रूप से विदेशी पर्यटकों में अत्यंत लोकप्रिय है। हिमाचल प्रदेश के बेहतरीन शॉल, हिमाचल के उत्पाद, कढ़ाई, ऊनी वस्त्र और चमड़े के शिल्प लोकप्रिय हैं। राज्य सरकार प्रदेश के हस्तशिल्प और हथकरघा क्षेत्र को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार के महत्वाकांक्षी प्रयासों से जहां लोगों को अनूठे उत्पाद उपलब्ध होंगें वहीं ग्रामीण कारीगरों को अपने क्षेत्र में रोजगार और स्वरोजगार के अवसर भी मिलेंगें।

रेणुकाजी बांध परियोजना से प्रभावित हुए परिवार होंगें अधिसूचित

शिमला/शैल। राष्ट्रीय महत्वाकांक्षी रेणुकाजी बांध परियोजना के निर्माण हेतू लगभग 947 हैक्टेयर निजि भूमि का अधिग्रहण किया गया है। यह निजि भूमि 18 परियोजना प्रभावित पंचायतों से भू-अधिग्रहण अधिनियम 1894 के तहत विगत में अधिग्रहण की गई है।

इसी कडी में परियोजना द्वारा पुनर्वास एंव पुनर्स्थापन योजना में निर्देशित परिभाषा के अनुसार मुआवजा प्राप्त व्यक्तियों का भू-अधिग्रहण अधिनियम 1894 (धारा 4) द्वारा अधिसूचना की तिथि को पंचायत परिवार पंजिका में दर्ज प्रविष्टियों के अनुसार चिन्हित करके प्रथम चरण में सूचि तैयार कर ली गयी है।

प्रथम चरण में जारी इस सूचि मे ऐसे परिवारों को जगह दी गयी है जिनकी भूमि या घर या दोनों ही परियोजना द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया हो और सम्बन्धित पचांयत में उनका रिकार्ड प्राप्त हो चुका हो। ऐसे परिवारों को मुख्य परियोजना प्रभावित परिवार में रखा गया है जबकि द्वितीय चरण में प्रथम चरण से छूटे लोगों को स्थान दिया जाएगा।

जैसाकि विदित है कि परियोजना द्वारा 18 प्रभावित पचांयतों से भूमि अधिग्रहण किया गया है। अत: इन पचायतों के 1408 परिवार जिसमें से 297 परिवारों की भूमि और घर, 481 परिवार जिनकी केवल भूमि का अधिग्रहण, 40 परिवारों के केवल घरों का अधिग्रहण, 587 परिवार जिनकी केवल शामलात भूमि का अधिग्रहण और 3 परिवार जिनकी आजिविका पर नकारात्मक प्रभाव पडा हो के रूप में चिन्हित किए गए है की सूचि अधिसूचना हेतू उपायुक्त कार्यालय को भेजी गयी हैं।

यह सूचना पचांयत वार प्रभावित परिवारों को अवलोकनार्थ 16.05.2023 से 14.06.2023 तक ग्राम पचांयतों सम्बन्धित पटवार सर्किल और सम्बन्धित तहसील में उपलब्ध है। अत: प्रभावित परिवारों से अनुरोध है कि अपनी अपनी सम्बन्धित ग्राम पचांयत के आधार पर या जहां से भूमि का अधिग्रहण किया गया है, यह सूचियां देख सकते है। इसके इलावा यह सूचियां परियोजना कार्यालय और उपायुक्त सिरमौर की आधिकारिक बेबसाइट: http://hpsirmour.nic.in. पर भी देख सकते है।

अत: सभी प्रभावित व्यक्ति जिनकी भूमि या घर परियोजना हेतू अधिग्रहित हुए है और उनका नाम इस सूचि में शामिल नहीं है या गलत रूप से शामिल है या दर्शाई गई भूमि सम्बन्धी संशय है तो ऐसी स्थिति में दावा या आक्षेप लिखित रूप में उपमहाप्रबंधक, रेणुकाजी बांध परियोजना या सम्बन्धित तहसीलदार (ददाहू/रेणुकाजी स्थित संगडाह/ नौहराधार/राजगढ/सैटलमैट कार्यालय वासनी/नारग) कार्यालय में दिनांक 14.06.2023 तक प्रात: 10 वजे से सांय 5 वजे तक प्रेषित कर सकते है। इसके उपरांत प्राप्त दावे या आक्षेप मान्य नही होंगें।

बांध परियोजना की तरफ से प्रभावित परिवारों से आग्रह किया जाता है कि परियोजना प्रभावित ग्राम पचांयतों ददाहू, पनार, दीद बगड, कोटला मोलर, पराडा, लाना भाल्टा, नेरी नामण, काथली भरण, सेर तन्दूला, गवाही, संगडाह, रेडली, वाउनल काकोग, जरग, रजाना, माईना घडेल, जामू कोटी और खालाक्यार में जिन भी परिवारों की भूमि या घर का अधिग्रहण किया गया हो तो सम्बन्धित ग्राम पंचायतों या पटवार वृतों या तहसीलों में अपना नाम देख सकते है। इस सम्बन्ध में अगर आपका कोई दावा या आक्षेप हो तो उपायुक्त कार्यालय द्वारा तय सीमा में लिखित में उपरोक्त पदाधिकारियों मे से किसी एक के पास दर्ज करवा सकते है।

मुआवजा प्राप्त प्रभावित परिवारों के उचित पुनर्वास एंव पुनर्स्थापन हेतू हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 19 जनवरी, 2009 को एक योजना का अनुमोदन किया गया जोकि पुनर्वास एंव पुनर्स्थापन योजना के नाम से जानी जाती है।

22 पन्नो वाली इस योजना में प्रभावित परिवारों को अधिग्रहण के अलावा क्या क्या अनुदान दिए जाने है, किन किन कल्याणात्मक योजनाओं का लाभ दिया जा सकता है एंव किस आधार पर प्रभावित परिवारों की श्रेणीबद्वता की जाएगी आदि प्रावधान शामिल है।

जनकल्याण और विकास ही सरकार का एजेंडाःमुकेश अग्निहोत्री

शिमला। उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने जिला ऊना के हरोली विधानसभा क्षेत्र के अधिकारियों के साथ क्षेत्र के विकासात्मक कार्यों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जन कल्याण और विकास के एजेंडे के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा दी गई गारंटियों को पूरा करने का कार्य किया जा रहा है।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जन भावना के अनुरूप कार्य करना सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए अधिकारी और कर्मचारी स्थानीय जन प्रतिनिधियों और स्थानीय नेताओं को विश्वास में लेकर कार्य को गति प्रदान करें। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी अपने संबंधित विभाग की समस्याओं को उनके ध्यान में लाएं और समाधान के लिए सुझाव भी दें।

उप मुख्यमंत्री ने विभिन्न स्वास्थ्य उपकरण उपलब्ध करवाने, भवन निर्माण को पूरा करने और कर्मचारियों की तैनाती, एंबुलेंस उपलब्ध करवाने, नए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने हरोली, पंजावर व दुलैहड़ अस्पताल के सुदृढ़ीकरण के लिए विस्तृत योजना तैयार करने के आदेश दिए।

उन्होंने बिजली विभाग के अधिकारियों को विद्युत संबंधी समस्याओं का समाधान करने और अनियमितताओं के मामले पर तुरंत कारवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कृषि और पशु पालन विभाग के अधिकारियों को बेसहारा पशुओं की समस्या का निवारण करने के लिए निर्देश दिए।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ललड़ी और हरोली में पशु अस्पताल को सुदृढ़ करने के लिए विस्तृत योजना तैयार की जाए। उन्होंने राजस्व विभाग के अधिकारियों को प्रमाणपत्रों से जुड़े मामले समयबद्ध निपटाने के लिए कहा। बैठक में टयूबवैल और किसानों को ट्रेक्टर प्रदान करने के मामलों पर भी विचार-विमर्श किया गया।

मुकेश अग्निहोत्री ने पुलिस विभाग से नशे के मामलों से सख्ती से निपटने की बात कही। मनरेगा के तहत बजट के प्रावधान पर भी विचार-विमर्श किया। पुलिस विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि हरोली-ऊना पुल पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं और गश्त बढ़ाई जाए ताकि असामाजिक तत्वों पर लगाम लगाई जा सके। सहकारी विभाग के अधिकारियों के साथ भी विभिन्न मामलों पर विचार-विमर्श किया गया।

इस दौरान उपमुख्यमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों की समस्याएं भी सुनीं।

पर्यावरण विभाग के स्वच्छता अभियान में 10 हजार लोग होंगे शामिल

शिमला/शैल। पर्यावरण, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं जलवायु परिवर्तन विभाग तथा हीलिंग हिमालय द्वारा होटल लारिसा में भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, कचरा प्रबन्धन एवं प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन पर हितधारकों की चर्चा विषय पर अर्धदिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

इस कार्यशाला के आयोजन का उद्देश्य हिमालय की प्राकृतिक सुन्दरता को संरक्षित करना, जमीनी स्तर पर प्रभावी क्षेत्रीय प्रयास एवं संचालन के लिए रणनीतियों पर मंथन करना तथा अपशिष्ट प्रबन्धन व कचरा प्रबन्धन में संलग्न सभी हितधारकों के साथ भारत को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए विभिन्न चुनौतियों पर व्यवहारिक चर्चा द्वारा ज्ञान साझा करना था।

निदेशक पर्यावरण, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ललित जैन ने कचरा प्रबन्धन एवं प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन पर विभाग द्वारा किए गए कार्यों पर प्रकाश डाला और बाई बैक पॉलिसी के बारे में विस्तृत जानकारी दी। डॉ. प्रदीप सांगवान, हीलिंग हिमालय तथा डॉ. सुरेश अत्री, मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी, पर्यावरण विभाग ने अपने भाषण में पंचायतों से आये प्रतिभागियों तथा पंचायतों में किए गए कचरा प्रबन्धन कार्यों की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि 25 जून, 2023 से हिमाचल से 10 हजार लोगों को जोड़कर पर्यावरण विभाग तथा हीलिंग हिमालय प्रदेश में स्वच्छता अभियान शुरू करने जा रहे हैं।

इस अवसर पर यू.एन.ई.पी. गुडविल एम्बेसडर दिया मिर्जा ने अपने भाषण में भारत को स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबन्धन पर और अधिक कार्य करने तथा एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अपने आस-पास साफ-सफाई का ध्यान रखने के लिए प्रेरित किया। इनके अतिरिक्त, भारत सरकार में संयुक्त सचिव रूपा मिश्रा एवं श्याम लाल पुनिया ने ठोस अपशिष्ट एवं प्लास्टिक प्रबन्धन पर अपनी प्रस्तुति दी। आर्ट आफ लिविंग संस्था से दीपक शर्मा ने देश में स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत संस्था द्वारा किए जा रहे कार्यों पर प्रकाश डाला।

सभी प्रतिभागियों ने कचरे के पुनर्चक्रण, संग्रह, अपशिष्ट प्रबंधन, शून्य अपशिष्ट, स्वच्छता कार्यक्रम, पर्यटन विभाग के अन्तर्गत अपशिष्ट प्रबन्धन पर नीति निर्माण तथा स्वच्छता कार्यक्रमों पर विस्तृत चर्चा की।

इस अवसर पर संयुक्त सचिव (हिमकोस्ट) सतपाल धीमान ने स्कूलों, कॉलेजों में इको क्लबों के माध्यम से कचरा प्रबन्धन पर किए गए कार्यों का उल्लेख किया।

व्यवस्था परिवर्तन और खुशहाली का नया दौर

वायदा किया निभाया

कर्मचारियों के कल्याण के प्रति समर्पित हिमाचल सरकार

- सभी सरकारी विभागों के 1.36 लाख कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल
- **ओपीएस** के दायरे में विस्तार : राज्य परिवहन निगम के कर्मचारी भी बने पुरानी पेंशन के हकदार, राज्य बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को भी मिलेगा **ओपीएस** का लाभ
- अन्य बोर्डो और निगमों के कर्मचारियों को **ओपीएस** का लाभ देने पर विचार कर रही सरकार
- प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे कर्मचारियों को मिली सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा और सम्मान

सुख की सरकार
हिमाचल सरकार

जारीकर्ता: सूचना एवं जन संपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार www.himachalpr.gov.in HimachalPradeshGovtPRDept DPR Himachal dprhp

SPEEDWAYS

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177 – 2805015, 94180 – 15015 फैक्स: 2805015

क्या गारंटियां देते समय कांग्रेस को वित्तीय स्थिति का ज्ञान नहीं था:भाजपा

क्या कर्ज के सहारे दी गयी थी गारंटियां

शिमला/शैल। केन्द्र सरकार ने हिमाचल सहित कुछ राज्यों की ऋण सीमा में कटौती की है। प्रदेश की सुक्खू सरकार ने इस कटौती को केन्द्र द्वारा राज्य को सहयोग न देना करार दिया है। सरकार का आरोप है कि जब प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के लिये ओ.पी.एस. बहाल की तभी केन्द्र ने कर्ज की सीमा पर कैंची चला दी। सरकार के इस आरोप पर पलटवार करते हुये भाजपा ने पूछा कि जब कांग्रेस चुनाव से पूर्व गारंटियां बांट रही थी तब क्या उसको प्रदेश की वित्तीय स्थिति की जानकारी नहीं थी। भाजपा नेताओं सर्वश्री रणधीर शर्मा, त्रिलोक जमवाल, त्रिलोक कपूर और राकेश जम्वाल ने संयुक्त ब्यान में कहा है कि कांग्रेस के मन्त्री पांच-छः बार के विधायक रहे हैं और इस नाते प्रदेश की स्थिति की उन्हें जानकारी रहना आवश्यक है। इसलिए आज कांग्रेस नेता अपनी नाकामियों को छुपाने के लिये केन्द्र को दोष न दें। स्मरणीय है कि जब कांग्रेस विपक्ष में थी तब जयराम सरकार पर प्रदेश को कर्ज में डूबाने का आरोप लगाती थी। प्रदेश की जनता से कहा था कि सत्ता में आते ही वित्तीय स्थिति पर श्वेत पत्र लायेंगे। इसी सबको संज्ञान में रखते हुये चुनावों के दौरान दस गारंटियां जनता को परोसी थी। महिलाओं से 1500 रूपये के लिये फॉर्म तक भरवाये गये थे। युवाओं को पहले ही मंत्रिपरिषद की बैठक में एक लाख रोजगार उपलब्ध करवाने की बात की थी। भाजपा सरकार द्वारा दी जा रही 125 यूनिट मुफ्त बिजली की जगह 300 यूनिट मुफ्त देने की गारंटी दी थी। कांग्रेस की सारी गारंटियां अनिश्चितता के भंवर में उलझ गयी है। क्योंकि कर्ज की सीमा पर कटौती लगने से सुक्खू सरकार जिस कदर परेशान हो उठी है उससे लगता है कि यह गारंटियां कर्ज के सहारे ही पूरी करने की योजना थी जिस पर अब प्रश्न चिन्ह लग गया है। आज प्रदेश वितीय चुनौतियों के मुहाने पर एक नाजुक दौर से गुजर रहा है। सरकार वितीय चुनौतियों का सामना कर पाने में असमर्थ नजर आने लग गयी है। क्योंकि जो प्रशासन वितीय कुप्रबंधन के लिये मूलतः जिम्मेदार रहा है यह सरकार उसके खिलाफ कोई कारवाई करना तो दूर बल्कि

उन्हें जिम्मेदार मानने तक को तैयार नहीं है। क्योंकि आज प्रदेश का शीर्ष प्रशासन ही उन्ही लोगों के हवाले कर दिया गया है। राज्य सरकारें जी.डी.पी. के तीन प्रतिशत तक ही कर्ज ले सकती है यह एक स्थापित नियम है। जब जब सरकारें इस सीमा का अतिक्रमण करती है तभी केन्द्र की ओर से चेतावनी जारी हो जाती है। हिमाचल सरकार को पिछले लम्बे समय से ऐसी चेतावनी जारी होती रही है। शैल इन चेतावनी को अपने पाठकों के सामने रखता भी रहा है। हिमाचल की सरकारें तो राज्य की समेकित निधि सीमा का भी अतिक्रमण करती आ रही है। हर कैग रिपोर्ट में इसका जिक्र होता आया है। हिमाचल को तो कर्ज की किश्त और ब्याज चुकाने के लिये भी कर्ज लेना पड़ता रहा है यह भी कैग रिपोर्ट में दर्ज है। जब देश कोरोना के कारण लॉकडाउन से गुजर रहा था और सारी गतिविधियां एक प्रकार से बन्द हो गयी थी तब केन्द्र ने दो बार राज्यों की कर्ज सीमा में बढ़ौतरी करी थी। अब जब स्थितियां सामान्य हो गयी है और सरकारें अपने राजनीतिक लाभों के लिये रेवड़ीयां बांटने की स्थिति में आ गयी है तब इस बढ़ी हुई कर्ज सीमा को वापस ले लिया गया है।

हिमाचल कांग्रेस ने सत्ता में आने के लिये दस गारंटियों का तोहफा जनता को दिया था। लेकिन यह नहीं कहा था कि कर्ज लेकर यह गारंटियां पूरी की जायेगी। फिर अभी तक यह सरकार जितना कर्ज ले चुकी है उसके आंकड़े विपक्ष जारी कर चुका है। इन आंकड़ों का कोई खण्डन नहीं आया है। मन्त्रीपरिषद की हर बैठक में किसी न किसी सेवा या वस्तु के दाम बढ़ते आ रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद कोई गारंटी अभी तक लागू नहीं हो पायी है। जिस ओ.पी.एस. बहाली को बड़ी उपलब्धि करार दिया जा रहा है उसका व्यवहारिक खर्च सरकार के इस कार्यकाल में बहुत कम होने जा रहा है। यदि एन.पी.एस. के नाम पर केन्द्र के पास जमा नौ हजार करोड़ से अधिक की राशि राज्य सरकार को वापस मिल जाती है तो उसमें भी एक तरह से आमदनी हो जाती है। इसलिये ओ.पी.एस. का तर्क रखना ज्यादा सही नहीं होगा यह स्पष्ट हो जा रहा है कि सत्ता में आने के लिये ही गारंटियों का पासा फैंका गया था और इन्हें कर्ज से ही पूरा किया जाना था जिस पर अब प्रश्न चिन्ह लगता है नजर आ रहा है।

क्या शिमला को मिली राजनीतिक हिस्सेदारी स्व. वीरभद्र का प्रभाव कम करने का प्रयास है?

शिमला/शैल। सुक्खू सरकार में तीन मन्त्री पद और एक विधानसभा उपाध्यक्ष का पद खाली चल रहा है। यही नहीं विभिन्न निगमों बोर्डों में भी कार्यकारी संचालन समितियों का भी गठन अभी तक होना है। ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर जिन कमेटियों का गठन होता था वह भी अभी तक नहीं हो पाया है। यहां तक कि भाजपा सरकार के दौरान विभिन्न निगमों/बोर्डो में जो अधिवक्ता तैनात किये गये थे उनको अभी तक हटाया नहीं गया है और न ही उनके स्थान पर नये लोग तैनात हो पाये हैं। जब राजनीतिक सतांए बदलती है तब पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों को ऐसी ताजपोशीयां देकर तैनातियां दी जाती हैं। प्रशासन में बड़े स्तर पर फेरबदल करके सत्ता के बदलाव का संकेत दिया जाता है। लेकिन सुक्खू सरकार में छः माह के समय में ऐसा कोई कदम उठाकर किसी बदलाव का व्यवहारिक संदेश नहीं दिया है। केवल प्रदेश उच्च न्यायालय में कुछ अधिवक्ताओं को अवश्य तैनात किया गया है लेकिन शायद सर्वोच्च न्यायालय में तो यह भी बहुत देरी से हुआ है। पार्टी अध्यक्षा शायद हाईकमान तक भी कार्यकर्ताओं को सरकार में सम्मानजनक ताजपोशीयां दिये जाने की बात रख चुकी है। लेकिन मुख्यमन्त्री अभी तक ऐसा कर नहीं पाये हैं और अब यह देरी अटकलों और चर्चाओं का विषय बनती जा रही है। क्योंकि जिस व्यवस्था परिवर्तन को अपनी सरकार का केन्द्र बिन्दु बनाने का प्रयास मुख्यमन्त्री कर रहे हैं। उस पर उन्हीं के मन्त्री चन्द्र कुमार के पुत्र पूर्व विधायक नीरज भारती ने यह कहकर तंज कसा है कि व्यवस्था बदलने से पहले अवस्था बदलनी पड़ती है। पार्टी के भीतरी हल्कों में इस चल रही यथास्थिति को लेकर रोष उभरने लग पड़ा है। यदि इस स्थिति को समय रहते न सुलझाया गया तो स्थितियां कभी भी विस्फोटक हो सकती हैं। प्रदेश की वित्तीय स्थिति की श्रीलंका से तुलना करने के बाद संसाधन बढ़ाने के लिये जो भी प्रयास किये जा रहे हैं। उनके व्यवहारिक परिणाम इसी कार्यकाल में आ पाने की संभावनाएं बहुत कमजोर नजर आ रही है। वाटर सैस लगाकर जो उम्मीद लगाई गयी थी वह अब इस मामले के अदालत में जा पहुंचने के बाद बड़े दूर की बात हो गयी है। शानन परियोजना का मामला भी अदालत तक पहुंचेगा यह तय माना जा रहा है। अन्य परियोजनाओं से जो ज्यादा हिस्सा लेने की बात की जा रही है वह भी लम्बी कानूनी लड़ाई के बिना संभव नहीं हो पायेगा। प्रदेश की जनता पर मंत्रिपरिषद की हर बैठक के बाद महंगाई का बोझ आता जा रहा है। लेकिन जनता के सहन करने की भी एक सीमा होती है और उस सीमा का अतिक्रमण नुकसानदेह हो जाता है यह तय है। इसी समय यह आम चर्चा चल पड़ी है कि इस सरकार को सही राय नहीं मिल रही है। शिमला को जितनी राजनीतिक हिस्सेदारी दे दी गयी है उसे स्वर्गीय वीरभद्र के प्रभाव को कम करने की दिशा में उठा पहला कदम माना जा रहा है।